

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 59, दिनांक 22-02-2024

INDIA BULLS CONSUMER FINANCE में Online लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर Whatsapp के माध्यम से Digital कूटरचित दस्तावेज भेजकर Online ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 08 अभियुक्त नोएडा से गिरफ्तार।

दिनांक: 22-02-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को INDIA BULLS CONSUMER FINANCE में Online लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर Whatsapp के माध्यम से Digital कूटरचित दस्तावेज (INDIA BULLS CONSUMER FINANC का ID Card, Loan Approval Latter, Amount Receiving Latter व Confirmation Latter) भेजकर रजिस्ट्रेशन, ईसीएस, जीएसटी व Insurance Against loan के नाम पर UPI के माध्यम से Online ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 08 अभियुक्तों को नोएडा से गिरफ्तार कर भारी मात्रा में Digital कूटरचित दस्तावेज व इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— छाया सिंह पुत्री प्रताप सिंह निवासी अराना इटहा थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात (मास्टरमाइंड)
- 2— श्रीमती प्रिया शुक्ला पत्नी तुषार शुक्ला निवासी किस्टल फ्लोर-डी 106, चौगानपुर ग्रेटर नोएडा थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 3— आंचल चौधरी पुत्री वेदपाल चौधरी निवासी ग्राम भवानी पीर नियर सनौटा नहर थाना सिकन्दराबाद जनपद हापुड़।
- 4— सुलेखा पत्नी नवीन निवासी मार्डन रेलवे सिटी छपरौला गिरधर पुर थाना छपरौला जिला गाजियाबाद।
- 5— अंकित पुत्र शीषपाल सिंह निवासी नगला फिरोज मोहनपुर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
- 6— सोनू उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह चौहान पुत्र सत्यपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम जादे का पुरवा पोस्ट ज्ञासपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज।
- 7— अर्चना प्रजापति पत्नी अजय सिंह निवासी मकान नं 0 178 पुरानी झूंसी थाना झूंसी जनपद-प्रयागराज।
- 8— शिवानी पुत्री राजू ठाकुर निवासी तेलमील गेट किशन पुरा थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी—

- 1— 35 अदद मोबाइल फोन।
- 2— 17 अदद एटीएम / क्रेडिट कार्ड।
- 3— 03 अदद लैपटाप।
- 4— 02 अदद टैबलेट।
- 5— 13 अदद प्रीऐक्टीवेटेड सिमकार्ड
- 6— 04 अदद आधार कार्ड।

- 7— 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
- 8— 01 अदद डीएल।
- 9— 13 अदद हिसाब किताब के रजिस्टर।
- 10— ₹0 11,190/- नकद।
- 11— 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार।
- 12— 75 वर्क फर्जी व कूट रचित दस्तावेज।
- 13— 1 लाख से भी अधिक कस्टमर का डेटा।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय:- दिनांक: 22-02-2024 स्थान: सी-4 सेक्टर 63
नोएडा समय: 07:30 बजे सुबह।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से Online लोन दिलाने का झांसा देकर Whatsapp के माध्यम से Digital कूटरचित दस्तावेज भेजकर रजिस्ट्रेशन, ईसीएस, जीएसटी व Insurance Against loan के नाम पर UPI के माध्यम से Online ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने सचूनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री संजय सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुख्यबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए आज दिनांक 22-02-2024 को समय करीब 07:30 बजे सुबह उपरोक्त संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 08 अभियुक्तों को सी- 4 सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरोह की मास्टरमाइंड छाया सिंह उपरोक्त ने बताया कि मैं वर्ष-2020 से शंकर शर्मा के आफिस में बैकेंड का काम देखती थी, वही पर मेरी मुलाकात अंकित, सोनू प्रिया, आंचल, सुलेखा, अंकिता, शिवानी आदि से हुई। हम लोग लोन लेने के इच्छुक लोगों को INDIA BULLS CONSUMER FINANCE, Dhani app के माध्यम से online लोन दिलाने का झांसा देकर कूटरचित दस्तावेज भेजकर कर फर्जी बैंक खातों में रूपये मंगाकर ठगी करते थे। अधिक रूपये कमाने के लालच में हम लोग अगस्त-2023 में उल्लास कुमार गोस्वामी की फर्जी आईडी बनाकर, सी-4 सेक्टर 63 नोएडा के मालिक से रेंट एग्रीमेंट बनवाकर अपना खुद का आफिस खोलकर ठगी का काम करने लगे। इस काम को करने के लिए हम लोगों द्वारा रजत नाम के साप्टवेयर इंजीनियर से कस्टमर का डेटा प्राप्त किया जाता है, जिसको रजत Just dial व अन्य Social Media Platforms से प्राप्त करके देता है। प्री-एकटीवेटेड सिम लव व गणेश से लिया जाता है। रजत द्वारा दिये गये डेटा पर काल कर लोगों को बताया जाता है कि INDIA BULLS CONSUMER FINANCE में मैनेजर हूँ आपका लोन हो जायेगा जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ₹ 4500 / UPI/Bank account (account/UPI name- india bulls) पर भेजना होगा जिसके बाद आपको Approval Latter आयेगा, कस्टमर को अपने विश्वास में लेने के लिए INDIA BULLS CONSUMER FINANCE का कूटरचिज ID Card Whatsapp के माध्यम से भेजा जाता है। जब कस्टमर द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है तो हम लोग Whatsapp के माध्यम से INDIA BULLS CONSUMER FINANCE का Loan Approval Latter भेजकर बताते हैं कि आपको ईसीएस के लिए लोन के अनुसार रूपया भेजना पड़ेगा, जिसमें से ₹ 250 कट जायेगा आपके द्वारा जमा किया गया शेष धन लोन के

साथ रिफंड कर दिया जायेगा। इस पर विश्वास करके जब कस्टमर द्वारा पेमेंटकर दिया जाता है तो उनको Whatsapp के माध्यम से Amount Receiving Latter भेज दिया जाता है। फिर लोन amount का 18 प्रतिशत जीएसटी Pay करने की पिच की जाती है कि हम उस बैंक से बोल रहे हैं जहा से आपका लोन हो रहा है जिससे कस्टमर को विश्वास हो जाये। जब कस्टमर जीएसटी Pay कर देता है तो उसे Confirmation Latter, Whatsapp के माध्यम से भेज दिया जata है और बताया जाता है कि आपको लोन पर इंश्योरेंश कराना पड़ेगा आदि तरीकों से हम लोग ठगी करते हैं। इस काम में प्रयोग होने वाले बैंक खातों को बैंक कर्मियों डीके व सक्षम से जो कूटरकिचत दस्तावेजों के माध्यम खोले गये बड़ी निकासी लिमिट के एकाउंट को कमीशन व किराये पर देते हैं, से प्राप्त किया जाता है, इन बैंक खातों में आया ठगी का रूपया यह लोग अपना कमीशन काट कर कैश में निकालकर देते हैं। इन बैंक खातों को मै UPI से लिंक कर देती हूँ। इन बैंक खातों में जो भी रूपया आता है उसे मै सोनू व अंकित के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देती हूँ। जिसके बाद यह लोग एटीएम से रूपयों को कैश में निकालकर ले आते हैं, जिसको हम लोग अपस में बाट लेते हैं। इस काम में पिछले 06 महीनों में हम लोगों द्वारा लगभग 20 फर्जी/किराये के बैंक खातों व 20 UPI account का प्रयोग कर 300 से भी अधिक लोगों से करोड़ों रूपये की ठगी की गयी है। छाया द्वारा बतायी गयी बातों का गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया।

गिरोह के अन्य सदस्यों की गतिविधियों व उनके द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त सिम कार्ड, बैंक खाते, INDIA BULLS CONSUMER FINANCE के कस्टमर के डेटा, उनके द्वारा बनाये गये Digital कूटरचित दस्तावेज आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनी से जानकारी प्राप्त करते हुए गैंग के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों व कूटरचित दस्तावेजों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरपतार अभियुक्तों को थाना सेक्टर 63 कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर में मु0अ0सं0 74/2024 धारा 34/419/420/467/468/471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।